न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

उनवान

माणकचंद बनाम भरत कुमार

किस्म मुकदमा धारा-223 मि० नं० 2121/112 सन्

अभिभाषक अपीलान्ट अरूण सिंह सोलंकी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9/1/24	पत्रावली पेश हुई। अभि० अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण अनुपस्थित। उभयपक्षगणों को बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 16.1.24 को पेश हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीणा) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	अभि० अपीलांट अनुपस्थित 16.1.24 (मोहर: भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा — सत्यमेव जयते)
16-01-24	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट व अभिभाषक अपीलांट को रूक-रूक कर तीन बार आवाजे लगवाई गई। फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अभिभाषक अपीलांट पूर्व में भी आदेशिका दिनांक 06-11-23, 12-12-23 व 09-01-24 को बहस हेतु अनुपस्थित रहे है। अत: पत्रावली में बार-बार बहस हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीणा) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	अदम हाजरी

दर्ज
21-9-21

श्री अरुण सिंह सोलंकी एड० द्वारा पेश की गई। P.O. सा० का स्थानान्तरण होने से पद रिक्त हो P.O. सा० के समक्ष पेश हेतु

बाद जांच पेश हो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज०)

न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

कोटा

अपील नं0 ..../2021

माणक चन्द आत्मज बृज मोहन उर्फ बृज गोपाल जी जाति महाजन निवासी अस्पताल रोड बारां

– अपीलान्ट

:: बनाम ::

1– भरत कुमार गुप्ता आत्मज बृज मोहन उर्फ बृज गोपाल जी जाति महाजन निवासी खाती कोलोनी बारां

2– श्रीमती पदमा पत्नी श्री भवानी शकर, पुत्री बृज मोहन उर्फ बृज गोपाल जी जाति महाजन निवासी मकान नं0 ~~2-3-9~~ 421 ~~तलवण्डी~~ बसंतविहार कोटा

3– श्रीमती रतना पत्नी अशोक कुमार गुप्ता , पुत्री बृज मोहन उर्फ बृज गोपाल जी जाति महाजन निवासी द्वारा– नेनू लाल नानक राम किराने की दुकान, सदर बाजार, गुना केन्ट मध्यप्रदेश

4– श्रीमती मन्जुला पत्नी उमा शंकर जी, पुत्री बृज मोहन उर्फ बृज गोपाल जी जाति महाजन निवासी मकान नं0 5-A-16 बसन्त बिहार महावीर नगर विस्तार योजना कोटा

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां जिला बारां

– रेस्पोडेन्टान

अपील बनाराजगी निर्णय व डिक्री दिनांक 04–03–2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव उप खण्ड मजि0 बारां बमुकदमें भरत कुमार गुप्ता –बनाम– माणक चन्द व अन्य मिसल दावा नं0 124/11 ,दावा धारा 88–89–92,53,188 आर0टी0ए0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मान्यवर,

अपीलान्ट निम्न निवेदन करता है :–

संक्षेप में अपील से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 नं0 1 वादी ने एक वाद धारा 88–89–92–53–188 आर0टी0ए0 का वाद सं0 124/11 अधीनस्थ न्यायालय में भरत कुमार गुप्ता –बनाम– माणक चन्द व अन्य के शीर्षक से पेश किया था जिसमें कथन किया गया कि ग्राम तुलसां में खाता सं0 203 की तीन किता की 5–54 हेक्टर वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के सयुंक्त खाते की है जिसमें से उमा कंवर व अनिता कंवर का बेचान किये जाने बाद शेष आराजी एंव ग्राम तुलसां की खाता नं0 204 की तीन किता की 1–11 हेक्टर भूमि वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 के सयुक्त नाम से दर्ज है। ग्राम आमापुरा की खाता सं0 87 की ख0न0 176 की 1–40 हेक्टर भूमि बृजमोहन जी के नाम दर्ज थी जो उनकी वसीयत से वादी के नाम दर्ज हो गयी।